प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

3 days "Police and Prosecution Officers on POCSO Act 2012 Cases"

(For Sub-Inspector to Dy. S.P.)

दिनांक 17-01-2022 से 19-01-2022

राजस्थान पुलिस अकादमी,जयपुर।

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 17-01-2022 से 19-01-2022 "**Police and Prosecution Officers on POCSO Act 2012 Case**" विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आनलाईन आयोजित किया गया। राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 76 प्रतिभागियों जिसमें **51** विशेष लोक अभियोजकों एवं **25** पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।

दिनांक 17-01-2022, 10:00-10:30 AM तक पंजीकरण एवं कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स का परिचय दिया गया। तत्पश्चात प्रथम दिन के प्रथम सत्र एवं द्वितीय सत्र में डॉ. दिपाली पाठक, एसएमएस अस्पताल, जयपुर ने मेडिको पोक्सो एक्ट, यौन हिंसा की कानूनी परिभाषा, चोट के बाद का समय, उम्र का अनुमान, मेडिको कानूनी जांच, रिपोर्टिंग आदि पर अपना व्याख्यान दिया । द्वितीय सत्र में श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक आरपीए ने पोक्सो एक्ट के बारें में जानकारी दी एवं किशोर न्याय अधिनियम के बारें में भी बताया। तृतीय सत्र में श्री रमेश चौधरी, पीओ ने किशोर न्याय के प्रावधान (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 और पोक्सो मामलों के साथ संबंधित नियमों पर विस्तार से चर्चा की।

द्वितीय दिन के प्रथम सत्र में श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक आरपीए ने पोक्सो एक्ट के बारें में जानकारी दी एवं किशोर न्याय अधिनियम के बारें में भी बताया। द्वितीय सत्र में श्री धन्नाराम (सेवानिवृत्त) एडीजे ने पोक्सो अधिनियम के तहत जांच के व्यावहारिक पहलू, पोक्सो अधिनियम के तहत अन्वेषण के व्यावहारिक पहलू, पॉक्सो एक्ट के तहत केस चलाने के लिए एसओपी तैयार करना और महिलाओं से संबंधित कानून के कानूनी प्रावधान के नवीनतम संशोधन पर चर्चा करते हुये क्या करे और क्या नहीं करे पर अपना व्याख्यान दिया। तृतीय सत्र में रिटायर्ड श्री आर0 एस0 शर्मा, सहायक निदेशक, एफ.एस.एल. जयपुर ने पोक्सो अधिनियम और इससे संबंधित मामलों में फोरेंसिक साक्ष्य का महत्व SAECK किट का भौतिक साक्ष्य संग्रह में उपयोग विषय पर अपना व्याख्यान दिया।

तृतीय दिन के प्रथम सत्र में श्री मनोज शर्मा साइबर कन्स्टेन्ट, जयपुर ने पोक्सो अधिनियम, 2012 के संदर्भ में सोशल नेटवर्किंग साइट्स और साइबर पोर्नोग्राफी पर ऑनलाइन अपराध और दुर्व्यवहार पर अपना व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र में श्री विश्वास भारद्वाज, सहायक निदेशक, एफ.एस.एल. जयपुर ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस चलाने के लिए एसओपी तैयार करना और महिलाओं से संबंधित कानून के कानूनी प्रावधान के नवीनतम संशोधन पर चर्चा करते हुये क्या करे और क्या नहीं करे पर अपना व्याख्यान दिया। तृतीय सत्र में श्री धीरज शर्मा, एडीजे सदस्य सचिव, रालसा, जयपुर ने पीड़ति प्रतिकार योजना 2018 के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तिम सत्र में **04:30** पीएम पर सहायक कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र में श्री विपिन कुमार पाण्डे, महानिरीक्षक पुलिस, मानवाधिकार आयोग, जयपुर ने पोक्सो विषय पर चर्चा की। कोर्स निदेशक द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया। तत्पश्चात कोर्स विधिवत सम्पन्न हुआ।

हस्ताक्षर

कोर्स निदेशक